बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

संकल्प

विषयः– **काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर सोनपुर अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच. सी. पी. डिजाईन, प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट प्रा०लि०, अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन एवं इस कार्य हेतु होने वाले व्यय के वहन की स्वीकृति के संबंध में।**

सारण जिलान्तर्गत सोनपुर में अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इस मंदिर के आस–पास के परिक्षेत्र में विश्वप्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस मेले में लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। इस परिक्षेत्र का समग्र विकास राज्य में पर्यटकों को अधिकाधिक संख्या में मेला अवधि के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष के दौरान भ्रमण हेतु आकर्षित कर सकेगा। इस परिदृश्य में पर्यटकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस मंदिर परिक्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

2. सारण जिले में प्रगति यात्रा के दौरान सोनपुर में अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास की घोषणा की गयी। उक्त घोषणा के आलोक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इस मंदिर परिक्षेत्र का समग्र विकास किया जाना समुचित प्रतीत होता है। अधिकारिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में मेसर्स एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट प्रा०लि०, अहमदाबाद द्वारा कार्य किया गया है।

3. उक्त के आलोक में संबंधित कन्सल्टेन्ट मेसर्स एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट प्रा०लि०, अहमदाबाद को बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास की कार्य योजना पर विचार–विमर्श हेतु पर्यटन विभाग के पत्रांक–15/गो० दिनांक– 22.01.2025 द्वारा आमंत्रित किया गया था। दिनांक 25.01.2025 को इस सम्बन्ध में कन्सल्टेन्ट द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही यह अवगत कराया गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एवं बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र, सोनपुर के विकास हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल भी लगभग एक समान है। मेसर्स एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट प्रा०लि०, अहमदाबाद द्वारा स्थल भ्रमण के उपरांत मुख्य सचिव, बिहार के समक्ष समग्र विकास से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। इस बैठक में उक्त एजेंसी को काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् के विकास हेतु किये गये कार्यों की समरूप शर्तों पर हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी के रूप में मनोनयन के आधार पर चयनित करने की अनुशंसा की गयी।

4. उक्त परामर्शी एजेंसी को काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र के कॉरिडोर के विकास के संबंध में Detailed Master Plan एवं Concept Design हेतु 95,00,000/– (पन्चानबे लाख) रूपये तथा Comprehensive Detailed & Periodic Supervision of Workmanship हेतु परियोजना लागत का 3.25 प्रतिशत के शुल्क पर कार्य आवंटित हुआ था। साथ ही Development Support के रूप में Manpower का मासिक दर निर्धारित था, परन्तु यह आवश्यक होने पर एवं सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा माँगे जाने पर ही लागू होगा। प्रस्तावित योजना के लिए Scope of Work काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र के विकास के समान होगा, जिसमें Project

Management Consultancy (PMC) शामिल नहीं है तथा समरूप शर्तों पर ही एकरारनामा किया जायेगा। Project Management Consultancy (PMC) के अवयव पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

5. इस कार्य पर होने वाले व्यय का वहन पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना स्कीम अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 3452 पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 104–संवर्द्धन तथा प्रचार, उप शीर्ष– 0103–पर्यटकीय विकास एवं विपत्र कोड–46–3452801040103, विषय शीर्ष– 2803 कन्सल्टेंसी मद् में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत किया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन पर्यटन विभाग द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराया जाएगा।

7. **काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कंडिका– 04 में वर्णित शर्तों के अनुरूप सोनपुर अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट प्रा०लि०, अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन एवं इस कार्य हेतु होने वाले व्यय के वहन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 04.02.2025 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या–67 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा०– 10/2025 ..../प०वि०, पटना दिनांकः–...........

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा०– 10/2025 ...431..../प०वि०, पटना दिनांकः–...05/02/2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/ निदेशक, पर्यटन निदेशालय/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग/आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/2/2025

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।